:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– अनील कुमार जैन
मूकदमा नम्बर 30/21

1. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी ताराचन्द जाति कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने, अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट।
प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :–
1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 20/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 2890/2493 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि कय की है जिसका विकयपत्र सलग्न है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर को वाद विवाद नहीं हो इस आश्य से पत्थरगढी करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, चुकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थथर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हो के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीमलवाडा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आठ सौ रूपये फिस लेकर पडौसीगण को तलब कर पत्थर घडि के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 2890/2493 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि **की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर की जावे तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे।**

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 20/04/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा